पत्र सूचना शाखा

(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

15 सार्वजनिक अवकाशों को निर्बन्धित अवकाशों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मंजूर

यह निर्णय कैलेण्डर वर्ष 2017 के लिए घोषित सार्वजनिक अवकाशों पर लागू माना जाएगा

महापुरुषों के जन्म दिवस के अवसरों पर प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में उनके व्यक्तित्व, कृतित्व एवं प्रेरणाप्रद सीखों को वर्तमान युवा पीढ़ी में प्रचारित व प्रसारित करने के उद्देश्य से कम से कम एक घण्टे की सभा/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित करने का फैसला

महापुरुषों के जन्म दिवस एवं पुण्य तिथि के दिन रविवार या किसी अन्य कारण से अवकाश होने की स्थिति में उसके एक दिन पूर्व सम्बन्धित महापुरुष के सम्बन्ध में सभा/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित किया जाएगा

लखनऊ : 25 अप्रैल, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेण्ट एक्ट, 1881 से भिन्न 15 सार्वजनिक अवकाशों, जिसमें कतिपय पर्व आदि एवं महापुरुषों की जन्म तिथियों/पुण्य तिथियों पर घोषित सार्वजनिक अवकाशों को निर्बन्धित अवकाशों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

यह निर्णय कैलेण्डर वर्ष 2017 के लिए घोषित सार्वजनिक अवकाशों पर लागू माना जाएगा। इसके अलावा, महापुरुषों के जन्म दिवस के अवसरों पर प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में उनके व्यक्तित्व, कृतित्व एवं प्रेरणाप्रद सीखों को वर्तमान युवा पीढ़ी में प्रचारित व प्रसारित करने के उद्देश्य से कम से कम एक घण्टे की सभा/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित करने का भी फैसला लिया गया है। महापुरुषों के जन्म दिवस एवं पुण्य तिथि के दिन रविवार या किसी अन्य कारण से अवकाश होने की स्थिति में उसके एक दिन पूर्व सम्बन्धित महापुरुष के सम्बन्ध में सभा/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित की जाएगी।

———————